प्रेषक

ओमवीर सिंह– द्वितीय

विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)

देवरिया।

सेवा में

माननीय महानिबंधक,

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद,

प्रयागराज।

द्वारा

श्रीमान जनपद न्यायाधीश

देवरिया।

विषय– **उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं.–14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024, दिनांक 28.06.2024 सपठित शासनादेश सं.–20/2024/सा–3–76/दस/2024/301(1)/2024, दिनांक 11.07.2024 के प्रकाश में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प निर्धारण प्रारूप पर प्रस्तुतीकरण।**

आदरणीय महोदय,

1- विषय उपर्युक्त के संबंध में ससम्मान निवेदन करना है कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के शासनादेश सं.-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, लखनऊ के माध्यम से राष्ट्रीय पेंसन प्रणाली से अच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक, जिनका चयन ऐसे पद के सापेक्ष हुआ हो जिसका विज्ञापन प्रदेश की नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुकी थी, के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था की गयी है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 2024 के शासनादेश सं.-20/2024/सा-3-276/दस-2024 /301(1)2024 के माध्यम से विकल्प पत्र प्रारूप उपलब्ध कराया गया है।

2– इस संबंध में मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पत्र सं.–9283/ VIIb– 104 Admin D सेक्शन दिनांक 08.07.2024 एवं पत्र सं.–9691/IV–F–82(PENSION)/Admin(1) दिनांक 16.07.2024 को भी प्रकरण के संबंध में विकल्प पत्र निर्धारित प्रारूप पर मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद को हार्ड कॉपी में एवं संबंधित अधिकारी के ई –सर्विसेज पर उपलब्ध ई–पोर्टल पर सॉफ्ट कॉपी समय से प्रेषित किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

***3– यह अवगत कराना समीचीन है कि अधोहस्ताक्षरी न्यायिक सेवा वर्ष 2003 बैच का न्यायिक अधिकारी है। अधोहस्ताक्षरी की नियुक्ति उ.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापन सं.–ए–2–ई–1/2003, दिनांकित 15 नवम्बर, 2003 में उल्लिखित रिक्तियों के सापेक्ष हुयी है। अधोहस्ताक्षरी का अब तक नवीन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन कटौती***

***(PRAN ID) सं.–110082656328 पर की जा रही है। अतः उ.प्र. राज्य के उपरोक्त शासनादेश दिनांकित 28.06.2024 के प्रकाश में अधोहस्ताक्षरी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित है एवं पुरानी पेंशन योजना आच्छादित किये जाने हेतु विकल्प प्रस्तुत कर रहा है।***

4– अतः उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त शासनादेश एवं मा. उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र के प्रकाश में प्रार्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने का विकल्प पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, जो इस पत्र के साथ मूल रूप में संलग्न करके प्रस्तुत किया जा रहा है।

**5– ससम्मान निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरी उत्तर प्रदेश की न्यायिक सेवा में विज्ञप्ति तिथि 15 नवम्बर, 2003 के आधार पर चयनित हुआ है। विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि दिनांक 16.05.2006 थी एवं योगदान की तिथि 15.06.2006 थी। ऐसी अवस्था में प्रार्थी नवीन शासनादेश उपरोक्त के प्रकाश में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित है।**

**6– निर्धारित प्रारूप पर पुरानी पेंशन के सम्बन्ध में आवेदन पत्रांक सं. 1493/XV दिनांकित 01.08.2024 माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया था। विकल्प पत्र में आवश्यक संशोधन कर प्रार्थी पुनः विकल्प पत्र पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने हेतु प्रस्तुत कर रहा है। आपसे अनुरोध है कि मेरा पुरानी पेंशन योजना से संबंधित विकल्प पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं संबंधित पेंशन प्राधिकारी के समक्ष रखने की कृपा करें।**

ससम्मान।

दिनांक–05.08.2024

भवदीय

Omvir Singh

(ओमवीर सिंह–द्वितीय)

विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)

देवरिया।

ID.NO.UP.6361

**संलग्नक–**

1. निर्धारित प्रारूप में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने हेतु विकल्प पत्र (मूल रूप में)
2. पूर्व में प्रेषित आवेदन की प्रति।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश देवरिया
पत्रांक 1515/XV/दिनांक 05.08.24 देवरिया
अग्रसारित
ह० जनपद न्यायाधीश
देवरिया
05.08.2024

**शासनादेश संख्या– 20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)2024,**
**दिनांक 11 जुलाई, 2024**

**विकल्प पत्र**

| | |
|---|---|
| 1. नाम | **ओमवीर सिंह द्वितीय** |
| 2. वर्तमान पदनाम | **विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट), देवरिया।** |
| 3. वेतनमान | **J–5 (144840–194660)**<br>**मूल वेतनमान रू. 178150/–(माह जुलाई, 2024)** |
| 4. वर्तमान विभाग का नाम | **उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा** |
| 5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम | **उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद** |
| 6. विज्ञप्ति की तिथि | **22–28 नवम्बर 2003 वि. सं. A–2/E– 1/2003** |
| 7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि | **26.05.2006 उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग–4 सं.430/2–4–06–32(1)/2001 टी.सी.–1 लखनऊ** |
| 8. योगदान की तिथि | **15.06.2006** |
| 9. जन्म तिथि | **20.06.1976** |
| 10. सेवानिवृत्ति की तिथि | **30.06.2036** |

मैं **ओमवीर सिंह द्वितीय** पुत्र **श्री भूदेव सिंह** शासनादेश संख्या 14/2024/सा–3–243/दस–2024/ 301(1)/2024, दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाय।

हस्ताक्षर– Omvir Singh 05/08/2024
नाम– ओमवीर सिंह द्वितीय
पदनाम– विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट) देवरिया।
(ID No.–UP 6361)

**घोषणा–पत्र**

मैं ओमवीर सिंह द्वितीय पदनाम– अपर जिला जज/अपर सत्र न्यायाधीश, देवरिया यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या–01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर– Omvir Singh 05/08/2024
नाम– ओमवीर सिंह द्वितीय
पदनाम–विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट) देवरिया।
(ID No.–UP 6361)

प्रेषक

ओमवीर सिंह– द्वितीय

विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)

देवरिया।

सेवा में

माननीय महानिबंधक,

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद,

प्रयागराज।

द्वारा

श्रीमान जनपद न्यायाधीश

देवरिया।

विषय– **उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं.–14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024, दिनांक 28.06.2024 सपठित शासनादेश सं.–20/2024/सा–3–76/दस/2024/301(1)/2024, दिनांक 11.07.2024 के प्रकाश में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प निर्धारण प्रारूप पर प्रस्तुतीकरण।**

आदरणीय महोदय,

1- विषय उपर्युक्त के संबंध में ससम्मान निवेदन करना है कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के शासनादेश सं.-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, लखनऊ के माध्यम से राष्ट्रीय पेंसन प्रणाली से अच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक, जिनका चयन ऐसे पद के सापेक्ष हुआ हो जिसका विज्ञापन प्रदेश की नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुकी थी, के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था की गयी है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 2024 के शासनादेश सं.-20/2024/सा-3-276/दस-2024 /301(1)2024 के माध्यम से विकल्प पत्र प्रारूप उपलब्ध कराया गया है।

2– इस संबंध में मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पत्र सं.–9283/ VIIb– 104 Admin D सेक्शन दिनांक 08.07.2024 एवं पत्र सं.–9691/IV–F–82(PENSION)/Admin(1) दिनांक 16.07.2024 को भी प्रकरण के संबंध में विकल्प पत्र निर्धारित प्रारूप पर मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद को हार्ड कॉपी में एवं संबंधित अधिकारी के ई –सर्विसेज पर उपलब्ध ई–पोर्टल पर सॉफ्ट कॉपी समय से प्रेषित किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

***3– यह अवगत कराना समीचीन है कि अधोहस्ताक्षरी न्यायिक सेवा वर्ष 2003 बैच का न्यायिक अधिकारी है। अधोहस्ताक्षरी की नियुक्ति उ.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापन सं.–ए–2–ई–1/2003, दिनांकित 15 नवम्बर, 2003 में उल्लिखित रिक्तियों के सापेक्ष हुयी है। अधोहस्ताक्षरी का अब तक नवीन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन कटौती***

***(PRAN ID) सं.–110082656328 पर की जा रही है। अतः उ.प्र. राज्य के उपरोक्त शासनादेश दिनांकित 28.06.2024 के प्रकाश में अधोहस्ताक्षरी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित है एवं पुरानी पेंशन योजना आच्छादित किये जाने हेतु विकल्प प्रस्तुत कर रहा है।***

4– अतः उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त शासनादेश एवं मा. उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र के प्रकाश में प्रार्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने का विकल्प पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, जो इस पत्र के साथ मूल रूप में संलग्न करके प्रस्तुत किया जा रहा है।

**ससम्मान निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरी उत्तर प्रदेश की न्यायिक सेवा में विज्ञप्ति तिथि 15 नवम्बर, 2003 के आधार पर चयनित हुआ है। विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि दिनांक 16.05.2006 थी एवं योगदान की तिथि 15.06.2006 थी। ऐसी अवस्था में प्रार्थी नवीन शासनादेश उपरोक्त के प्रकाश में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित है। अतः प्रार्थी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत कर रहा है। आपसे अनुरोध है कि मेरा पुरानी पेंशन योजना से संबंधित विकल्प पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं संबंधित पेंशन प्राधिकारी के समक्ष रखने की कृपा करें।**

ससम्मान।

दिनांक– 01/08/2024

भवदीय

Omvir Singh 01/08/2024

(ओमवीर सिंह–द्वितीय)

विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)

देवरिया।

ID.NO.UP.6361

**संलग्नक–**

1. निर्धारित प्रारूप में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने हेतु विकल्प पत्र (मूल रूप में)

कार्यालय जनपद न्यायाधीश देवरिया
पत्रांक 1493/XV /दिनांक 01.08.2024 देवरिया
अग्रसारित

जनपद न्यायाधीश
देवरिया
01.08.24

**शासनादेश संख्या– 20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)2024,**

**दिनांक 11 जुलाई, 2024**

**विकल्प पत्र**

| | |
|---|---|
| 1. नाम | **ओमवीर सिंह द्वितीय** |
| 2. वर्तमान पदनाम | **विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट), देवरिया।** |
| 3. वेतनमान | **J–5 (144840–194660)** |
| | **मूल वेतनमान रू. 178150/–(माह जुलाई, 2024)** |
| 4. वर्तमान विभाग का नाम | माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद |

5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग

| | |
|---|---|
| का नाम | **उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद** |
| 6. विज्ञप्ति की तिथि | **15 नवम्बर, 2003** |
| 7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि | **16.05.2006** |
| 8. योगदान की तिथि | **15.06.2006** |
| 9. जन्म तिथि | **20.06.1976** |
| 10. सेवानिवृत्ति की तिथि | **30.06.2036** |

मैं **ओमवीर सिंह द्वितीय** पुत्र **श्री भूदेव सिंह** शासनादेश संख्या 14/2024/सा–3–243/दस–2024/ 301(1)/2024, दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाय।

हस्ताक्षर– Omvir Singh 01/08/2024

नाम– ओमवीर सिंह द्वितीय

पदनाम– विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट) देवरिया।

(ID No.–UP 6361)

**घोषणा–पत्र**

मैं ओमवीर सिंह द्वितीय पदनाम– अपर जिला जज/अपर सत्र न्यायाधीश, देवरिया यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या–01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर– Omvir Singh 01/08/2024

नाम– ओमवीर सिंह द्वितीय

पदनाम–विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट) देवरिया।

(ID No.–UP 6361)